

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,
(खेल विभाग)**

लोकसभा/राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेज

विषय:— राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित का समीक्षा विवरण प्रस्तुत विवरण।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) की वर्ष 2024-2025 की वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखाओं से सहमत है।

2. डोपिंग के विरुद्ध कोपेनहेगन डोप रोधी घोषणा तथा यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (1, फरवरी 2007) के हस्ताक्षकर्ता के रूप में भारत सरकार ने विश्व डोप रोधी संहिता राष्ट्रीय के सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस संहिता को अपनाने के लिए समुचित उपाय किए।
3. संहिता के अनुसरण में राष्ट्रीय स्तर पर डोप रोधी नियमों को अपनाने और कार्यान्वित करने, डोप नमूने एकत्र करने, पीरक्षण परिणामों के प्रबंधन तथा सुनवाई करने के संबंध में निर्देश देने के मुख्य प्राधिकर से युक्त एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय के रूप में एक स्वतंत्र संगठन स्थापित किया जाना था।
4. नाडा की स्थापना वर्ष 2008 में सोसायटी के पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में की थी, जिसका उद्देश्य देश में खेलों में इसके सभी रूपों में डोप नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना, समन्वय करना और उसकी निगरानी करना है।
5. निर्णय के अनुसरण में विश्व डोप रोधी एजेंसी (वाडा) ने विश्व डोप रोधी संहिता, 2009 में संशोधन किया और भारत सरकार ने वाडा के परामर्श से वाडा संहिता, 2009 के अनुपालन में वर्ष 2010 में 5 फरवरी 2010 को नाडा के संशोधित डोप रोधी नियमों को अधिसूचित किया। नाडा ने विश्व डोप रोधी संहिता को स्वीकार किया तथा 2010 में नाडा के डोप रोधी नियम बनाए और संहिता के अंतर्गत नाडा के उत्तरदायित्व के अनुरूप इन्हें कार्यान्वित किया। वाडा ने इन नियमों को विश्व डोप रोधी संहिता 2015 के अनुसार फिर से संशोधित किया जो नाडा ने दिनांक 01.01.2015 से अधिकृत कर लिया था। इन नियमों को वाडा संहिता, 2021 के अनुसार फिर से संशोधित किया गया है तथा नाडा ने ये संशोधित नियम पूरे भारत में 01 जनवरी, 2021 से लागू कर दिये हैं।

6. नाडा के प्रबंधन और मामलों का उत्तरदायित्व शासी निकाय के पास है जिसके अध्यक्ष केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, भारत सरकार है, सचिव (खेल) इसके उपाध्यक्ष हैं तथा सदस्य के रूप में पांच विशेषज्ञ बाहर से लिए हैं और नाडा के महानिदेशक इसके सदस्य सचिव हैं।
7. नाडा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, पूर्वी द्वार संख्या 10, नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से कार्य करता है। संगठन का नेतृत्व महानिदेशक नाडा द्वारा किया जाता है।

नाडा के मुख्य कार्य:

- विश्व डोप रोधी संहिता के अनुरूप डोप रोधी नियमों और नितियों को अपनाना और कार्यान्वित करना।
- देश भर से खिलाड़ियों का डोप नमूना एकत्र करना।
- डोप रोधी नियम के उल्लंघन के बाद परिणाम प्रबंधन।
- खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहायक कर्मियों को शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से डोप रोधी उपायों के बारे में जागरूकता करना।

डोप परीक्षण

8. डोप नमूने मुख्यतः देशभर के प्रशिक्षण स्थानों और देश भर में आयोजित खेल स्पर्धाओं के दौरान लिए जाते हैं। हालिया वर्षों में नाडा ने पूरे भारत में राष्ट्रीय, राज्य, विश्वविद्यालय और स्कूली स्तर पर आयोजित स्पर्धाओं में डोप परीक्षण शुरू किया है।

परिणाम प्रबंधन

डोप रोधी अनुशासनात्मक पैनल (एडीडीपी)

9. नाडा 2021 के वर्तमान डोप रोधी नियम के अनुसार स्थापित पैनल में 5 बेंचों में 15 सदस्य होते हैं जो डोप रोधी नियमों के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करते हैं। प्रत्येक बेंच में कानूनी, चिकित्सा और खेल क्षेत्र के एक विशेषज्ञ होता है। नाडा के डोप रोधी नियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए खिलाड़ियों को सुनवाई पैनल के समक्ष स्वयं उपस्थित होने और पैनल द्वारा निर्धारित समय तारीख और सुनवाई पैनल को अपने मामलों का स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जाता है।

डोप रोधी अपील पैनल (एडीएपी)

10. डोप रोधी अनुशासनात्मक पैनल के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए नाडा 2021 के वर्तमान ए.डी.आर. के अनुसार डोप रोधी अपील पैनल स्थापित किया गया। पैनल में छह सदस्य होते हैं जिनमें दो कानूनी विशेषज्ञ, दो चिकित्सा विशेषज्ञ और दो प्रतिष्ठित खिलाड़ी होते हैं। अपील के मामलों की सुनवाई करने के लिए आवश्यकता अनुसार पैनल की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

शिक्षा सह जागरूकता कार्यक्रम

11. नाडा नियमित रूप से खेलों में डोपिंग पर शिक्षा/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है, और सूचना का प्रसार करता है तथा शिक्षण सत्रों/सेमिनारों/कार्यशालाओं के माध्यम से डोपिंग के दुष्प्रभावों के बारे में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहायक कर्मियों को शिक्षित करता है तथा प्रतिस्पर्धा के दौरान तथा प्रतिस्पर्धा के बाहर खिलाड़ियों के डोप परीक्षण करता है।

अधिप्रमाणित

25/12/2021

(सुश्री रक्षा निखिल खडसे)

माननीय राज्य मंत्री,
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

रक्षा निखिल खडसे
युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री
भारत सरकार, सरकार

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS
(DEPARTMENT OF SPORTS)

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF LOK SABHA/RAJYA SABHA

Subject : Laying of review statement in respect of Annual Report and Audited Accounts of National Anti Doping Agency (NADA) for the year 2024-25

The Government of India through the Ministry of Youth Affairs and Sports is in agreement with the Annual Report and Audited Accounts of National Anti Doping Agency (NADA) for the year 2024-25.

2. As signatory of Copenhagen Declaration on Anti Doping and UNESCO International Convention against Doping (1st February 2007), Govt. of India undertook appropriate measures to adopt the Code at the national and international level, which are consistent with the principles of World Anti Doping Code.
3. In terms of the Code an independent organization was to be established as apex national body possessing the primary authority to adopt and implement anti-doping rules, direct the collection of dope samples, the management of test results and conduct the hearings, all at the national level.
4. NADA was set up as a Society registered in 2008 under the Registration of Societies Act, 1860, with the objective of promoting, coordinating and monitoring the doping control programme in sports in all its forms in the country.
5. In pursuance of the decision, WADA amended the World Anti Doping Agency Code 2009 and the Government of India notified the amended the Anti-Doping rules of NADA in 2010 on 5th February 2010 in compliance of WADA code 2009 in consultation with WADA. NADA accepted the World Anti Doping Code and framed the Anti Doping Rules of NADA in 2010 and implemented in conformity with

the NADA's responsibility under the code. WADA further amended the World Anti Doping Code 2015, to which NADA had implemented the same w.e.f 01.01.2015. These rules have been further amended as per WADA Code 2021 and apply to the whole of India and have come into operation with effect from 1st January 2021.

6. The management and the affairs of NADA vest with the Governing Body comprising of Union Minister for Youth Affairs & Sports as Chairman, Secretary (Sports), as Vice-Chairman with 5 Members experts from outside and the Director General of NADA as Member Secretary.

7. NADA functions from its Headquarters based at Jawaharlal Nehru Stadium, East Gate No. 10, New Delhi. The organization is headed by Director General of NADA.

Primary Functions of NADA:

- Adopting and implementing anti-doping rules and policies, which conform to the World Anti-Doping Code.
- Dope sample collection of Sportspersons across the country.
- Result management following Anti Doping Rule Violations.
- Providing Awareness about Anti Doping measures for Athletes, Coaches and Support staff through education and research.

DOPE TESTING

8. The dope sample collection takes place mainly in place of the training locations and also during the sports event conducted across the country. In the recent years, NADA has started dope testing in national, state, university, and school level events conducted across India.

RESULT MANAGEMENT

Anti Doping Disciplinary Panel (ADDP)

9. Set up as per the current ADR of NADA 2021, the panel consists of 15 members with five bench hearing the anti doping rule violations. Each bench consists of one expert from Legal, Medical and Sports field. Athletes found guilty of violating Anti Doping Rules of NADA are given an opportunity to present themselves before the hearing panel and explain their cases to the hearing panel on the date and time fixed by the Panel.

Anti Doping Appeal Panel (ADAP)

10. ADAP set up as per the current ADR of NADA 2021 to hear appeals against decisions of Anti-Doping Disciplinary Panel. The panel consists of six members with two legal two legal luminaries, two medical experts and two eminent sportspersons. The panels meet as and when required and hear the appeal cases.

EDUCATION CUM AWARENESS PROGRAM

11. NADA regularly conducts education/awareness program on doping in sports and dissemination of information, educating the sportspersons, coaches and support personnel on the ill effects of doping through teaching sessions/seminars/workshops and organizing dope tests on athletes both in-competition and out-of-competition.

AUTHENTICATED



(SMT. RAKSHA NIKHIL KHADSE)

HON'BLE MINISTER OF STATE

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

RAKSHA NIKHIL KHADSE

Minister of State

Youth Affairs & Sports

Govt. of India, New Delhi

Place : New Delhi

Dated :